न्यायालय श्रीमान् सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियर, मध्यप्रदेश,

रीवा जोन, रीवा, (म.प्र.)

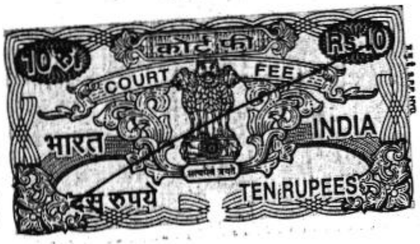

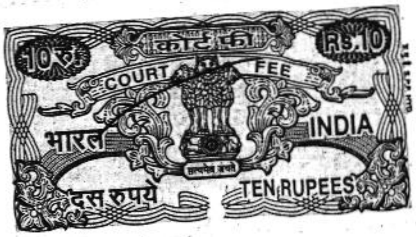

R. 3458-III/14

ग्राम पंचायत जवा, जनपद पंचायत जवा, जिला रीवा, (म.प्र.) द्वारा सदस्य दीनानाथ सिंह तनय श्री कुलपति सिंह, निवासी ग्राम जवा, तहसील जवा, जिला रीवा, (म.प्र.)

.... निगरानीकर्ता/आवेदक

बनाम

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जवा, जिला रीवा, (म.प्र.)

.... गैर निगरानीकर्ता/अनावेदक

निगरानी विरुद्ध आदेश तहसीलदार जवा, **जिला रीवा, (म.प्र.) के प्रकरण क्र. 28/अ–68** /2013–14, आदेश दिनांक 23.09.2014

निगरानी अंतर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

डी. एस. चौहान
एडवोकेट
हाईकोर्ट म.प्र. ग्वा.

मान्यवर,

प्रकरण का सूक्ष्म विवरण निम्नलिखित है :–

1. यह कि आराजी खसरा क्र. 1581 एवं 1582, स्थित ग्राम जवा, तहसील जवा, जिला रीवा, (म.प्र.) की भूमि होकर ग्राम पंचायत में निहित है और राजस्व रिकार्ड में भी पंचायत दर्ज है। जवा ग्राम में कई शासकीय विभाग है जहां सभी विभागों की अलग–अलग भूमिया दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। वर्तमान

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

(57)

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3458/III/14/रीवा ग्राम पंचायत जवा / मुख्य कार्यपालन [illegible]

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
09/01/19	आवेदक की ओर से श्री पी. एस. चौहान अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी तहसीलदार - जवा के प्रकरण क्रमांक 28/अ-68/13-14 में पारित आदेश दिनांक 23-9-14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू.राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला - रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22/04/19 को कलेक्टर जिला - रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । सदस्य	